मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या : 31/12/8/2018-ज.सं. दिनांक : 20.02.2019

प्रेस प्रकाशनी

(i) **क.रा.बी. अंशदान दर में कटौती।**

(ii) **चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित माता-पिता की निर्भरता के लिए आय की सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव।**

(iii) **क.रा.बी. निगम द्वारा प्रति बीमाकृत व्यक्ति खर्च की निर्धारित उच्चतम सीमा में क.रा.बी. योजना की पूर्ण लागत को वहन करना।**

(iv) **शीला नगर, विशाखापट्टणम में 500 बिस्तर के क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल की स्थापना करना।**

(v) **क.रा.बी. औषधालय को 30 बिस्तर के क.रा.बी. अस्पताल में अपग्रेड करना।**

(vi) **स्थायी नि:शक्तता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ दरों में वृद्धि की मात्रा का निर्णय करने के लिए उप समिति का गठन करना।**

(vii) **डी.ओ.टी.टी. तथा डी.एम.आर.टी. पाठ्यक्रम आरंभ करना।**

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 19.02.2019 को श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित अपनी 177वीं बैठक के दौरान अपने सेवा सुपुर्दगी तंत्र में सुधार के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

बैठक में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे, श्री हीरालाल सामरिया, आई.ए.एस., सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार; श्री राजकुमार, आई.ए.एस., महानिदेशक, क.रा.बी. निगम; श्रीमती अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार; श्रीमती सिबानी सवैन, ए.एस. एण्ड एफ.ए., श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार तथा श्रीमती संध्या शुक्ला, आई.ए. एण्ड ए.एस., वित्त आयुक्त, क.रा.बी. निगम, कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और क.रा.बी. निगम के माननीय सदस्य, राज्य सरकारों तथा क.रा.बी. निगम के प्रतिनिधि।

बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे :-

(i) **क.रा.बी. अंशदान दर में कटौती।**

बैठक में, यह सूचित किया गया कि सरकार ने नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों द्वारा भुगतान की जा रही अंशदान दर में क्रमश: मजदूरी की 4.75% से कम करके 4% तथा 1.75% से कम करके 1% करने को अनुमोदन प्रदान किया है, और अंशदान दर की कटौती के संबंध में भारत सरकार द्वारा एक मसौदा अधिसूचना दिनांक 15.02.2019 को जारी कर दी गई है। अंशदान में कटौती से क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त सभी कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं को लाभ होगा।

(ii) **चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित माता-पिता की निर्भरता के लिए आय की सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव।**

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित माता-पिता के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने की सभी स्रोतों से आय की सीमा वर्तमान 5,000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 9,000/- रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

(iii) **क.रा.बी. निगम द्वारा प्रति बीमाकृत व्यक्ति खर्च की निर्धारित उच्चतम सीमा में क.रा.बी. योजना की पूर्ण लागत को वहन करना।**

राज्यों में चिकित्सा सेवा में सुधार करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि क.रा.बी. निगम पूर्व में राज्यों द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च के 1/8 भाग को भी वहन करेगा। अभी तक क.रा.बी. निगम योजना के खर्च के 7/8 भाग को वहन करता था। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, क.रा.बी. निगम वर्ष 2019-2020 से आरंभ तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति बीमाकृत व्यक्ति व्यय की निर्धारित उच्चतम सीमा में क.रा.बी. योजना की पूर्ण लागत वहन करेगा।

(iv) **शीला नगर, विशाखापट्टणम में 500 बिस्तर के क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल की स्थापना करना।**

क.रा.बी. निगम, शीला नगर, विशाखापट्टणम में 8.58 एकड़ के पहले से ही आबंटित स्थल से सटे 10.56 एकड़ के अतिरिक्त स्थल को अधिग्रहित करेगा। इस स्थल पर, अति विशिष्टताओं सहित 500 बिस्तरों के क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।

(v) **क.रा.बी. औषधालय को 30 बिस्तर के क.रा.बी. अस्पताल में अपग्रेड करना।**

आंतरिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के रिक्त स्थान (गैप) को भरने के लिए, क.रा.बी. औषधालय को 30 बिस्तरों के क.रा.बी. अस्पताल में अपग्रेड करने की नीति के पुनर्विचार पर उप समिति की रिपोर्ट को अनुमोदन प्रदान किया गया। अब, मैदानी क्षेत्र में 20,000 बीमाकृत व्यक्तियों तथा पहाड़ी क्षेत्र में 15,000 बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या पर 30 बिस्तरों के क.रा.बी. निगम अस्पताल की स्थापना की जाएगी। पूर्व में, क.रा.बी. निगम केवल उन क्षेत्रों में जहां न्यूनतम 50,000 बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या है, अस्पतलों की स्थापना कर रहा था। इस निर्णय से क.रा.बी. योजना के अंतर्गत कई अल्प सेवा कार्यान्वित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों/लाभार्थियों को आंतरिक सेवाएं प्राप्त होंगी।

(vi) स्थायी नि:शक्तता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ दरों में वृद्धि की मात्रा का निर्णय करने के लिए उप समिति का गठन करना।

क.रा.बी. निगम मुद्रास्फीति के प्रभाव के प्रत्युत्तर में, स्थायी नि:शक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ भुगतान की मूल दरों में समय-समय पर वृद्धि करता रहता है। मुद्रास्फीति से हुई क्षतिपूर्ति के लिए, स्थायी नि:शक्तता हितलाभ/आश्रितजन हितलाभ दरों की वृद्धि की कार्यप्रणाली तथा मात्रा पर निर्णय करने के लिए क.रा.बी. निगम की एक उप समिति गठित की गई है।

(vii) डी.ओ.टी.टी. तथा डी.एम.आर.टी. पाठ्यक्रम आरंभ करना।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि क.रा.बी. निगम अपने अस्पताल तथा महाविद्यालय परिसर, गुलबर्गा में ओ.टी. टेकनोलॉजी में डिप्लोमा (डी.ओ.टी.टी.) तथा डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्डस टेकलोलॉजी (डी.एम.आर.टी.) परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम आरंभ करेगा। स्किल इंडिया मिशन की तर्ज पर, ये पाठ्यक्रम प्रशिक्षित परा-चिकित्सा कार्यबल की उपलब्धता के रिक्त स्थान (गैप) को भरने में सहायक होंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैठक के दौरान बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके लाभार्थियों की सेवाओं/हितलाभों में सुधार तथा अन्य प्रशासनिक मदों से संबंधित लगभग 40 अन्य कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>भारत में क.रा.बी. योजना</u>

क.रा.बी. निगम रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसी आवश्यकताओं के समय में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा हितलाभों जैसे उचित चिकित्सा देखरेख तथा नकद हितलाभ की श्रृंखला प्रदान करने वाला अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क.रा.बी. अधिनियम उन कारखानों/स्थापनाओं पर लागू होता है, जहाँ 10 अथवा उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। ₹ 21,000/- प्रतिमाह की मजदूरी आहरित करने वाले कर्मचारी, क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति तथा अन्य हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। कामगारों की लगभग 3.43 करोड़ परिवार इकाइयों को लाभ प्रदान करते हुए, यह अधिनियम अब संपूर्ण भारत में लगभग 10.33 लाख कारखानों तथा स्थापनाओं पर लागू होता है। इस समय, क.रा.बी. योजना से लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या 13.32 करोड़ से अधिक है। वर्ष 1952 में इसके आरंभ से, क.रा.बी. निगम ने अब तक 154 अस्पताल, 1489/174 औषधालय/भारतीय चिकित्सा पद्धति इकाइयां, 815 शाखा/भुगतान कार्यालय तथा 63 क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

*****